



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(7)परावि/प्रशा.1/क.अ./स.अ./स्थाना.पद/विविध/21/3110 जयपुर दिनांक- 7.09.2022

—: आदेश :-

निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं—

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री)	कहाँ से	कहाँ को	वि.वि.
1.	सुनील कुमार शाह	पं.स. साबला जिला डूंगरपुर	व्याख्याता अभियान्त्रिकी, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र डूंगरपुर	रिक्त पद पर
2.	हरिओम शर्मा	पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाडा	पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली	रिक्त पद पर

उपरोक्त आदेशों की पालना में यदि किसी स्थान पर स्वीकृत पदों से अधिक अभियन्ता कार्यरत हो गये हो, तो नवपदस्थापित अभियन्ता को कार्यग्रहण करवाकर 3 दिवस में विभाग को पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करावें। यदि किसी अभियन्ता द्वारा कार्यग्रहण करने में विलम्ब किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय परिपत्र क्रमांक 1346 दिनांक 14.9.2020 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त अधिकारी बिना किसी पत्र व्यवहार के इनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर आदेशों की पालना तत्काल सुनिश्चित करते हुए कार्यग्रहण रिपोर्ट उचित माध्यम से विभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें। उपरोक्त अभियन्ताओं को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ० सैनक बैरागी)

अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (तृतीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (तृतीय), मुख्यालय।
9. जिला कलक्टर, सम्बन्धित।
10. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सम्बन्धित।
11. प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
13. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. सम्बन्धित अभियन्ता को पालनार्थ।
15. निजी/आरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (तृतीय)